कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि., हरदोई

पत्रांक – 1639/C-1 /2018 दिनांक– 23-10-2018

सेवा में,

मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड
ई–237 तृतीय फ्लोर इन्डस्ट्रियल एरिया फेज VIII B मोहाली
पिनकोड–160055

विषय :– **हरदोई पिहानी चपरतला मार्ग के किमी0 1.105 से किमी0 43 तक (कुल दूरी 43.00 किमी0 एवं 4.00 किमी0 नगर पालिका पिहानी छोड़कर, 43–4 = 39) पर भूमिगत केबिल डालने हेतु अनापत्ति की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **आपका पत्र दिनांक 10.05.2018**

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त लिखित मार्गो के किनारे एच0डी0डी0 विधि द्वारा आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु अनापत्ति की अनुमति चाही गई है, इस हेतु आप द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0 सेक्टर–53 गोल्फ कोर्स रोड गुडगांव 122002 द्वारा निर्गत बैंक गारन्टी न0 003 जी0टी0 02181280011 दिनांक 08.08.2018 रू0 296010.00 (दो लाख, छियानवे हजार दस रूपये मात्र) इस कार्यालय में बन्धक के रूप में जमा कर दी गयी है, एवं भारतीय स्टेट बैंक नगंल डेरी नई दिल्ली द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संख्या 192198 दिनांक 05.05.2018 रू0 39000.00 (रुपये उन्तालिस हजार मात्र) जो कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 हरदोई के पक्ष में जमा कर दिया गया है। उपरोक्त विषयक मार्ग पर निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तो के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है :–

1.एच0डी0डी0 विधि द्वारा ही मार्ग के किनारे केबिल डालने का कार्य किया जाये एवं ग्राउन्ड लेबिल से कम से कम दो मी0 की गहराई पर ही केबिल डाली जाये। पूरा कार्य होने के 72 घण्टे के अन्दर स्थल को मूलस्थिति में ला दिया जाये ।

2. उक्त विषयक लिखित मार्ग हरदोई पिहानी चपरतला मार्ग के किमी0 1.105 से किमी0 43 तक (कुल दूरी 43.00 किमी0 एवं 4.00 किमी0 नगर पालिका पिहानी छोड़कर, 43–4 = 39) पर मध्य रेखा से 18.30 मी0 दूरी के बाद ही खुदाई करके उक्त लिखित गहराई में ही केबिल डाली जाये।

3.रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी बोर्ड व वैरिकेट्स व रात्रि में हैलोजन लगाये जाये कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी/आपकी होगी।

4.केबिल डालते समय यदि लो0नि0वि0 या अन्य किसी विभाग की सम्पत्ति/यूटिलिटी को किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व कम्पनी /आपका होगा।

5.मार्ग पर कार्य करते समय यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।

1/11/18

PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR

pramendra the hon.docx

6.भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु केबिल को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता होती है, तो आपको 21 दिन के अन्दर केबिल को स्थानान्तरित करना होगा एवं इस पर होने वाला व्यय कम्पनी/आपको स्वयं वहन करना होगा।

7.उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के विरुद्ध विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

8.यह अनुमति केवल एक माह के लिए अनुमन्य होगी।

(अजय वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
हरदोई

पंत्राक – / /2018 दिनांक–

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त लो0नि0वि0, उन्नाव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता द्वितीय/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, हरदोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता (प्रा0)/श्री आलोक कुमार अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.,
हरदोई

11/11/18
PARVEZ FAROOQ ANSARI
AREA MANAGER
VINDHYA TELELINKS LTD.
KANPUR CLUSTER, KANPUR